प्रेषक,

**मनोज कुमार सिंह,**
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**निदेशक,**
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ।

**पंचायती राज अनुभाग-3** **लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2023**

**विषय:- 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को वर्ष 2022-23 के लिए संस्तुत निर्दिष्ट अनुदान (टाइड ग्रांट) की द्वितीय किश्त के आवंटन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या-F.-15(4) F.C.-XV-FCD/2020-25 दिनांक 17.02.2023, आपके पत्र संख्या-6/3689/2022-6/267/2022 दिनांक 23.02.2023 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहनें का निदेश हुआ है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं हेतु द्वितीय किश्त की निर्दिष्ट अनुदान (टाइड ग्रांट) की अवमुक्त कुल धनराशि रू. 2239.80 करोड़ (रू. बाइस सौ उनतालीस करोड़ अस्सी लाख मात्र) में से क्रमश: जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को संलग्न फाण्ट के अनुसार निम्नवत शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल व्यय हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों**

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय पन्द्रहवें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किए जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्यां-30/2020/1594/33-3-2020-33/2020 दिनांक 29.06.2020 व अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

(3) पंचायतीराज संस्थायओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे पंचायतीराज संस्था ओं के खाते में जमा की जायेगी। उक्त प्रक्रिया पी.एफ.एम.एस. के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(5) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंचायतीराज संस्थाओं का बैंक खाता, आई.एफ.एस.सी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित पंचायतीराज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(8) उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति धनराशि को निर्गत करने के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धत सुनिश्चित कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्वव निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(9) वित्तीय स्वीकृत की धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्टं) मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो; उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(10) शासकीय व्यय में मितव्यियता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(11) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध0 धनराशि की सीमा के उपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होनें का दायित्व निदेशक,पंचायतीराज का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/ दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

**लेखाशीर्ष:** 2515001960500 (पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान )

| | **अनुदान संख्या** | **लेखा शीर्षक** | **मानक मद** | **स्वीकृत धनराशि** |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 014 | 2515001960500<br>पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान | 20<br>सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 3,35,97,00,000<br>( रुपये तीन अरब पैंतीस करोड़ सत्तानवे लाख मात्र ) |
| | **कुल** | | | **3,35,97,00,000**<br>**( रुपये तीन अरब पैंतीस करोड़ सत्तानवे लाख मात्र )** |

**लेखाशीर्ष:** 2515001970500 (पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान )

| | **अनुदान संख्या** | **लेखा शीर्षक** | **मानक मद** | **स्वीकृत धनराशि** |
|---|---|---|---|---|

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 014 | 2515001970500<br>पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान | 20<br>सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 3,35,97,00,000<br>( रुपये तीन अरब पैंतीस करोड़ सत्तानवे लाख मात्र ) |
| | **कुल** | | | **3,35,97,00,000**<br>**( रुपये तीन अरब पैंतीस करोड़ सत्तानवे लाख मात्र )** |

**लेखाशीर्ष:** 2515001980500 (पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान )

| | **अनुदान संख्या** | **लेखा शीर्षक** | **मानक मद** | **स्वीकृत धनराशि** |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 014 | 2515001980500<br>पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान | 20<br>सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 15,67,86,00,000<br>( रुपये पंद्रह अरब सड़सठ करोड़ छियासी लाख मात्र ) |
| | **कुल** | | | **15,67,86,00,000**<br>**( रुपये पंद्रह अरब सड़सठ करोड़ छियासी लाख मात्र )** |
| **महायोग** | | 22,39,80,00,000<br>( रुपये बाईस अरब उनतालीस करोड़ अस्सी लाख मात्र ) | | |

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

**(मनोज कुमार सिंह)**
अपर मुख्य सचिव।

**<u>संख्या व दिनांक:- तदैव।</u>**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- समस्त मण्डलायुक्त।
5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 ।

8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनउ।

10- संबंधित बैंकों को।

11- निदेशक,पंचायतीराज,लेखा उ0प्र0।

12- वित्त ( व्यय नियंत्रण ) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्यंयक) अनुभाग-2

13- वित्त संसाधन (केन्द्री य सहायता ) अनुभाग ।

14- वित्त संसाधन ( वित्त आयोग) अनुभाग।

15- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

16- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।

17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(गिरिजेश कुमार)**
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश संख्या- 2/2023/398/33-3-2023-33/2020 दिनांक 28 फरवरी, 2023 का संलग्नक**

**(धनराशि रू. में)**

| क्र.स | जनपद | निर्दिष्ट अनुदान की द्वितीय किस्त वर्ष 2022-23 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | जिला पंचायत की धनराशि | क्षेत्र पंचायत की धनराशि | ग्राम पंचायत की धनराशि | योग(3+4+5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | आगरा | 56312154 | 56312154 | 262790051 | 375414359 |
| 2 | अलीगढ़ | 50746448 | 50746448 | 236816757 | 338309653 |
| 3 | अम्बेडकर नगर | 44397143 | 44397143 | 207186666 | 295980952 |
| 4 | अमेठी | 40307682 | 40307682 | 188102515 | 268717879 |
| 5 | अमरोहा | 29267064 | 29267064 | 136579631 | 195113759 |
| 6 | औरैया | 26110458 | 26110458 | 121848802 | 174069718 |
| 7 | अयोध्या | 42758079 | 42758079 | 199537701 | 285053859 |
| 8 | आजमगढ़ | 88641780 | 88641780 | 413661639 | 590945199 |
| 9 | बागपत | 21751391 | 21751391 | 101506489 | 145009271 |
| 10 | बहराइच | 69911563 | 69911563 | 326253962 | 466077088 |
| 11 | बलिया | 62035673 | 62035673 | 289499807 | 413571153 |
| 12 | बलरामपुर | 43899057 | 43899057 | 204862267 | 292660381 |
| 13 | बांदा | 36203258 | 36203258 | 168948535 | 241355051 |
| 14 | बाराबंकी | 63039413 | 63039413 | 294183926 | 420262752 |
| 15 | बरेली | 65555151 | 65555151 | 305924038 | 437034340 |
| 16 | बस्ती | 47033386 | 47033386 | 219489133 | 313555905 |
| 17 | भदोही | 27930309 | 27930309 | 130341444 | 186202062 |
| 18 | बिजनौर | 61938605 | 61938605 | 289046822 | 412924032 |
| 19 | बदायू | 56544246 | 56544246 | 263873146 | 376961638 |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | बुलन्दशहर | 57929696 | 57929696 | 270338581 | 386197973 |
| 21 | चन्दौली | 38187062 | 38187062 | 178206288 | 254580412 |
| 22 | चित्रकूट | 21477390 | 21477390 | 100227819 | 143182599 |
| 23 | देवरिया | 55406241 | 55406241 | 258562458 | 369374940 |
| 24 | एटा | 33554856 | 33554856 | 156589328 | 223699040 |
| 25 | इटावा | 27592995 | 27592995 | 128767312 | 183953302 |
| 26 | फर्रूखाबाद | 32414060 | 32414060 | 151265612 | 216093732 |
| 27 | फतेहपुर | 50081777 | 50081777 | 233714959 | 333878513 |
| 28 | फिरोजाबाद | 36371652 | 36371652 | 169734375 | 242477679 |
| 29 | गौतमबुद्धनगर | 7343606 | 7343606 | 34270161 | 48957373 |
| 30 | गाजियाबाद | 12589984 | 12589984 | 58753256 | 83933224 |
| 31 | गाजीपुर | 72259155 | 72259155 | 337209388 | 481727698 |
| 32 | गोण्डा | 71281090 | 71281090 | 332645087 | 475207267 |
| 33 | गोरखपुर | 71980368 | 71980368 | 335908383 | 479869119 |
| 34 | हमीरपुर | 23110242 | 23110242 | 107847795 | 154068279 |
| 35 | हापुड़ | 20462075 | 20462075 | 95489685 | 136413835 |
| 36 | हरदोई | 80891741 | 80891741 | 377494793 | 539278275 |
| 37 | हाथरस | 26562634 | 26562634 | 123958958 | 177084226 |
| 38 | जालौन | 26707795 | 26707795 | 124636376 | 178051966 |
| 39 | जौनपुर | 87017855 | 87017855 | 406083323 | 580119033 |
| 40 | झांसी | 30990495 | 30990495 | 144622311 | 206603301 |
| 41 | कन्नौज | 30454702 | 30454702 | 142121941 | 203031345 |
| 42 | कानपुर देहात | 35265154 | 35265154 | 164570719 | 235101027 |
| 43 | कानपुर नगर | 35684772 | 35684772 | 166528936 | 237898480 |
| 44 | कासगंज | 25968630 | 25968630 | 121186940 | 173124200 |
| 45 | कौशाम्बी | 28862337 | 28862337 | 134690906 | 192415580 |
| 46 | खीरी | 81064796 | 81064796 | 378302380 | 540431972 |
| 47 | कुशीनगर | 65029389 | 65029389 | 303470482 | 433529260 |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ललितपुर | 28223230 | 28223230 | 131708409 | 188154869 |
| 49 | लखनऊ | 28116921 | 28116921 | 131212296 | 187446138 |
| 50 | महाराजगंज | 51025794 | 51025794 | 238120372 | 340171960 |
| 51 | महोबा | 18819575 | 18819575 | 87824685 | 125463835 |
| 52 | मैनपुरी | 34648615 | 34648615 | 161693537 | 230990767 |
| 53 | मथुरा | 37218042 | 37218042 | 173684196 | 248120280 |
| 54 | मऊ | 33513001 | 33513001 | 156394007 | 223420009 |
| 55 | मेरठ | 36527162 | 36527162 | 170460088 | 243514412 |
| 56 | मिर्जापुर | 50054722 | 50054722 | 233588704 | 333698148 |
| 57 | मुरादाबाद | 41548164 | 41548164 | 193891433 | 276987761 |
| 58 | मुजफ्फरनगर | 44446920 | 44446920 | 207418962 | 296312802 |
| 59 | पीलीभीत | 38995138 | 38995138 | 181977313 | 259967589 |
| 60 | प्रतापगढ़ | 60257590 | 60257590 | 281202085 | 401717265 |
| 61 | प्रयागराज | 92259422 | 92259422 | 430543984 | 615062828 |
| 62 | रायबरेली | 56087217 | 56087217 | 261740346 | 373914780 |
| 63 | रामपुर | 37746615 | 37746615 | 176150872 | 251644102 |
| 64 | सहारनपुर | 53092592 | 53092592 | 247765428 | 353950612 |
| 65 | संम्भल | 38486695 | 38486695 | 179604577 | 256577967 |
| 66 | सन्त कबीर नगर | 32001604 | 32001604 | 149340818 | 213344026 |
| 67 | शाहजहापुर | 53110548 | 53110548 | 247849224 | 354070320 |
| 68 | शामली | 20422309 | 20422309 | 95304110 | 136148728 |
| 69 | श्रावस्ती | 23787385 | 23787385 | 111007797 | 158582567 |
| 70 | सिद्धार्थ नगर | 49185584 | 49185584 | 229532726 | 327903894 |
| 71 | सीतापुर | 87623282 | 87623282 | 408908648 | 584155212 |
| 72 | सोनभद्र | 41147460 | 41147460 | 192021480 | 274316400 |
| 73 | सुल्तानपुर | 49619612 | 49619612 | 231558189 | 330797413 |
| 74 | उन्नाव | 58203798 | 58203798 | 271617725 | 388025321 |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | वाराणसी | 42605594 | 42605594 | 198826106 | 284037294 |
| | **योग-** | **3359700000** | **3359700000** | **15678600000** | **22398000000** |

**रू. 2239.80 करोड़ (रू. बाइस सौ उनतालीस करोड़ अस्सी लाख मात्र)**

**( मनोज कुमार सिंह)**
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।